UPHR010049172026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हरदोई।

उपस्थितः रीता कौशिक, एच०जे०एस०

(J.O. Code U.P. 5728)

द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2356/2026

अनुज पुत्र मायाराम निवासी ग्राम मोहकमपुर मजरा बिराहिमपुर थाना सुरसा जिला हरदोई।

----------आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार----------विपक्षी।

दिनांक: 20.07.2026

1– यह द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त अनुज की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–183/2026 अन्तर्गत धारा–61(2),336(1),338,340(2),318(4) बी०एन०एस० व धारा 66 डी आई०टी० एक्ट थाना सुरसा जनपद हरदोई के प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने की याचना सहित प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। जमानत प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा बल न दिए जाने के कारण निरस्त किया जा चुका है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा शरद कश्यप की ओर से थाना स्थानीय पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी गयी है कि वह सार्थक फ्यूल्स नायरा मलिहामऊ निकट बौसरा में सैल्समैन के पद पर काम करता है। दिनांक 25.05.2026 को समय लगभग दोपहर 1.00 बजे एक मोटरसाइकिल पर दो लोग, जिनकी उम्र लगभग 20–22 वर्ष होगी, उसके यहां 600/– का पेट्रोल डलवाया और 6,000/– रूपए उसके यू०पी०आई० नंबर 9696777700 पर भेजकर वादी से कहा कि गलती से 600/– की जगह 6,000/– चले गए, शेष धनराशि नकद प्राप्त कर ली, लेकिन अब उसे पता चला कि उसका खाता फ्रीज हो गया है। उसने धोखाधड़ी से उससे ये रकम ठग ली है। जब उसके खते से लेनदेन होना बंद हो गया तब वह अपने बैंक गया। वहां से उसे जानकारी हुई कि उपरोक्त 6,000/– के कारण उसका खाता बंद हुआ है। जिसका यू०टी०आर० नंबर 077871025887 है।

3– आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित

Digitally signed by REETA KAUSHIK
Date: 2026.07.21 10:29:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त को उपरोक्त मुकदमे में षड़यंत्र के तहत झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यधिक विलम्ब से दर्ज कराई गई है और देरी का कोई स्पष्ट कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त के पास से मात्र एक अदद मोबाईल ओपो कम्पनी का मय सिम बरामद होना कहा गया है, जोकि उसका है। इसके अलावा अन्य कोई बरामदगी उसके पास से नहीं हुई है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई कूटरचना व इलेक्ट्रानिक साक्ष्य न तो बनाया गया है और न मिटाया गया है, फिर भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में धारा 318(4) के साथ धारा 61(2),336(3),338,340(2) बी०एन०एस० की बढ़ोत्तरी की गई है, जबकि रिमाण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा आवेदक/अभियुक्तका रिमाण्ड धारा 61(2), 336(1), 338,340(2),318(4) बी०एन०एस० में स्वीकार किया गया है। तत्पश्चात धारा 66D आई०टी० एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई। उक्त धाराओं की बढ़ोत्तरी शक के आधार पर बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के की गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दो व्यक्ति नाम पता अज्ञात में दर्ज कराई गई है और आवेदक/अभियुक्त को उक्त घटना में अभियुक्त बनाया गया है, जबकि घटना मलिहामऊ पेट्रोल पम्प की है। विवेचक द्वारा कोई भी पेट्रोल पम्प का सी०सी०टी०वी० फुटेज रिमाण्ड के समय दाखिल नहीं किया गया है। केवल शक के आधार पर उसे अभियुक्त बनाया गया है। ठगी व कूटरचना व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के जरिये फर्द बरामदगी में दिल्ली, राजस्थान व हरियाणा में आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध चार शिकायतें दर्ज होना कहा गया है। उक्त शिकायतें किस अपराध संख्या में हैं तथा किस थाने में हैं, का कोई उल्लेख फर्द बरामदगी में नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार 600 रु0 के स्थान पर 6000 रूपए UPI नम्बर 9696777700 पर भेजने की बात कही गई है तथा नकद रुपये वापस करने की बात भी कही गई है, जबकि वादी मुकदमा द्वारा जिस UPI नम्बर पर आवेदक/अभियुक्त द्वारा रुपये भेजने की बात कही गई है, किस नम्बर से भेजे गए, का भी उल्लेख नहीं किया गया है तथा नकद रुपये देने के बजाय वादी मुकदमा प्रार्थी के उक्त UPI नम्बर पर ही रुपये वापस भेज सकता था। ऐसा न करके वादी मुकदमा द्वारा कथित कहानी संदेहास्पद है। आवेदक/अभियुक्त को थाना पुलिस द्वारा साजिश के तहत फंसाया गया और आवेदक/अभियुक्त को जानबूझकर अपराधी बनाया गया है। आवेदक/ अभियुक्त का अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र न तो माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल है न ही विचाराधीन ही है। अतः उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

4– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए तर्क किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त ने कई ई मेल आई०डी० बनायी है और Just dial app पर किसी तरह अपने को, ई मेल व मोबाइल नंबर, पर धोखा देकर Just dial app में सूचीबद्ध कर लिया गया है और मोबाइल नंबर पर जब ग्राहक काल करता है तो उस नंबर से वाहन नंबर आदि भेज देता है और क्यू आर कोड के माध्यम से जब पैसा आ जाता है तो गाड़ी न भेजकर मोबाइल स्वीच आफ कर लेता। वादी मुकदमा के पेट्रोल पंप पर दिल्ली के एक कम्पलेण्ट से पैसा अनुज के एकाउण्ट में उसके साथियों ने भेजा। उसने पेट्रोल पंप पर जाकर जानबूझकर धोखा देने के आशय से 600/– रूपए का पेट्रोल भरवाया और दिए गए एकाउण्ट में 6000/– रूपए डाल दिए और

वादी से नकद 5400/– रूपए ले लिए। वादी जब उसी एकाउण्ट में रिटर्न करना चाहा तो नहीं हुआ तब वादी मुकदमा को समझ में आया कि उसके साथ धोखा हुआ है। विवेचना के अनुक्रम में पुलिस द्वारा आवेदक/अभियुक्त एवं अन्य सह अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया तो आवेदक/अभियुक्त की अभिरक्षा से एक अदद मोबाइल ओप्पो कंपनी का नीले रंग का तथा एक अदद सिम कार्ड बरामद किया गया। आवेदक/अभियुक्त एवं अन्य सह अभियुक्तगण का एक संगठित सरगना है और उनके द्वारा भिन्न–भिन्न लोगों से ठगी की जा रही है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनपत्र निरस्त किए जाने की याचना की गयी है।

5– जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रस्तुत विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा केस डायरी का परिशीलन किया।

7– मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्य, अपराध की प्रकृति, उसकी गंभीरता एवं उसमें वर्णित दण्ड को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने हेतु आधार पर्याप्त नहीं है। आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त अनुज की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(रीता कौशिक)

दिनांकः 20.07.2026 सत्र न्यायाधीश,

हरदोई।